उत्तर प्रदेश में आरक्षित वनभूमि

2771. **श्री ईश दत्त यादव :** क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में इस समय कुल आरक्षित वन भूमि कितनी है;

(ख) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश में कई हैक्टेयर आरक्षित वनभूमि पर विभिन्न गैर-कानूनी अधिक्रांताओं ने कब्जा कर लिया है;

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार ने इस भूमि से ऐसे अधिक्रमणों को हटाने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) उत्तर प्रदेश में आरक्षित वन भूमि का कुल क्षेत्रफल 36,42,456 हेक्टेयर है।

(ख) जी, हां।

(ग) उत्तर प्रदेश में वनभूमि के 28,222 हेक्टेयर क्षेत्र में अवैध कब्जे किए गए है।

(घ) वनभूमि से अवैध कब्जों को हटाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :–

1. भारतीय वन अधिनियम, 1927 तथा राज्य भूमि राजस्व अधिनियम के उपबंधों के तहत वन-भूमि पर अवैध कब्जों के बारे में मामले दर्ज कराने के लिए कानूनी कार्रवाई की गई है।

2. अवैध कब्जों को रोकने के लिए संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष गश्ती दस्ते तैनात किए गए हैं;

3. कतिपय मामलों में, जहां अवैध काबिज विरोध करते हैं, पुलिस की सहायता ली जाती है।

"उत्तर प्रदेश में प्रदूषण रहित शहर"

2772. **श्री ईश दत्त यादव :** क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार उत्तर प्रदेश में कुछ शहरों को प्रदूषण रहित बनाने हेतु कोई कार्यक्रम आरम्भ करने का विचार रखती है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या उत्तर प्रदेश में प्रदूषण रहित बनाने और उन पर लगातार निगरानी रखने हेतु कुछ नगरों को चुना गया है ; और

(घ) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) से (घ) उत्तर प्रदेश के कुछ नगरों को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिये कोई विशिष्ट कार्यक्रम नहीं है। तथापि, उत्तर प्रदेश में प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण और उप-शमन के लिये अनेक कार्यक्रम और उपाय कार्यान्वित किये जा रहे हैं। इनमें निम्न-लिखित शामिल हैं:–

1. गंगा कार्य योजना (चरण–1) के तहत उत्तर प्रदेश के छः नगरों अर्थात् हरिद्वार, फर्रूखाबाद, कानपुर, इलाहाबाद, फतेहगढ़, मिर्जापुर और वाराणसी की मल-जल के संग्रहण और दिशा-परिवर्तन तथा वर्तमान मल-जल शोधन संयंत्रों के उन्नयन के लिये शिनाख्त की गई है।

2. गंगा कार्य योजना (चरण–2) के तहत गंगा की सहायक नदियों अर्थात्